



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122022-241037  
CG-DL-E-13122022-241037

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 782]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944

No. 782]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022

सं. 106/2022-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 876(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 208/1977-सीमाशुल्क, दिनांक 01 अक्टूबर, 1977, जिसे संख्या सा.का.नि. 1318, दिनांक 01 अक्टूबर, 1977 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2, उपवाक्य (ग) में "गौरीफंटा और धारचूला" शब्दों के स्थान पर "गौरीफंटा, धारचूला, भिठामोड़ और बढनी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 609/26/2022-डीबीके]

हसन अहमद, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 208/77-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अक्टूबर, 1977 को संख्या सा.का.नि. 1318, दिनांक 1 अक्टूबर, 1977 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2019-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 3 जनवरी, 2019, संख्या सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 3 जनवरी, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2022

**No. 106/2022-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 876(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 76 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.208/1977-Customs, dated the 1<sup>st</sup> October, 1977, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1318, dated the 1<sup>st</sup> October, 1977, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, in clause (c), for the words “Gauriphanta and Dharchula”, the words “Gauriphanta, Dharchula, Bhithamore and Barhni” shall be substituted.

[F. No. 609/26/2022-DBK]

HASAN AHMED, Under Secy.

**Note :** The principal notification No.208/77-Customs, dated the 1<sup>st</sup> October, 1977, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1318, dated the 1<sup>st</sup> October, 1977 and lastly amended *vide* Notification No.01/2019-Customs (N.T.), dated the 3<sup>rd</sup> January, 2019, *vide* number G.S.R. 4(E) dated the 3<sup>rd</sup> January, 2019.